न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/03

मुरारी आयु 66 वर्ष आत्मज श्री श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढसालिया तहसील एवं जिला बून्दी हाल निवासी कोटा जरिये मुख्तारआम अभयदेव आत्मज श्री पीताम्बर लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी न्यू कोलोनी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

बनाम

1. चतरा आत्मज मांगू जाति बंजारा निवासी पील्या पटवार हल्का राजपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. रामसिंह आत्मज मांगू बंजारा जाति बंजारा निवासी पील्या तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. आसू आत्मज मांगू जाति बंजारा निवीस पील्या तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ढसालिया तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 3/433/2 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 22.12.1975 को आवंटित की गई थी । वादी ने आवंटन शर्तो की पालना कर दी और वह उक्त भूमि पर वैधानिक रूप से खातेदार बन गया है किन्तु अभी तक राजस्व कर्मचारियों ने वादी को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकित नहीं किया है । प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई हक एवं कब्जा नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3/433/2 रकबा 15 बीघा पर जबरन अतिक्रमण नहीं करे और वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर ले तो वादी को कब्जा वापस दिलया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 05.06.2016 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 22.12.1975 को आवंटित की गई है तथा आवंटन आदेश मय तरमीम नक्शा अपीलान्ट वादी को दिया गया है तब से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में वाद वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई सूचना नहीं दी । अपीलान्ट दिनांक 03.08.2016 को न्यायालय में पेशी पर गया तो उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 04.10.2016 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थिति नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को सन् 1975 में आवंटित हुई थी और अपीलान्ट आवंटन की दिनांक से ही उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है । उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा हक घोषणा का पेश किया गया था और वादी की अनुपस्थिति में लोक अदालत में दावा खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था । दावा बहस में लम्बित था और उसमें दिनांक 11.05.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.07.2016 नियत की गई । दिनांक 13.07.2016 से पूर्व ही दिनांक 05.06.2016 को इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी ओर प्रतिवादी क्रम 1 से 3 में से कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रतिवादी क्रम 04 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसको शामिल मिसल करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनके मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है और लोक अदालत के नोटिस की तामील पक्षकारान को की गई हो इसका कोई रिकॉर्ड भी पत्रावली पर संलग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थी जो पृष्ठ संख्या 32 पर संलग्न है परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षीय बहस सुनकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा